जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 02.03.2025

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3304 इवेण्ट नं0-31395 द्वारा बस खाई में गिर जाने से घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– कालर द्वारा स्वयं की बस खाई में गिर जाने के कारण घायल 01 व्यक्ति (01 रविन्द्र नाथ दास पुत्र विष्णु प्रसाद दास निवासी ग्राम मावदा टाउन पश्चिम बंगाल) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ-का0 दीपक कुमार, हो0चा0 राजकिशोर।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 85 वाहनों से 68,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 02.03.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 85 वाहनों से 68,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत चलाये जा रहे "साथ-साथ कार्यक्रम" के तहत परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना द्वारा 04 परिवारों के मध्य कराया गया सुलह समझौता

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में चलाये जा रहे 'साथ-साथ' कार्यक्रम (टूटते परिवार को जोडने की एक पहल) का आयोजन में आज दिनांक 02.03.2025 को परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना जनपद संतकबीरनगर पर थानाध्यक्ष पूनम मौर्या एवं नियुक्त सदस्य श्री रिफातुल्लाह अंसारी के अध्यक्षता में 04 मामला आया। जिसमें सुलह समझौता करवाया गया।

1.**प्रथम पक्ष –** नूरजहाँ पत्नी शोहरत चिन्नू थाना दुधारा जनपद सन्तकबीर नगर
द्वितीय पक्ष – मुस्तकीम पुत्र मो0 सिद्दीकी सा0 महलगंज थाना कोतवाली सदर जनपद- महाराजगंज के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

2.**प्रथम पक्ष –** प्रिया भारती पुत्री तिलकधारी सा0 देवरियागंगा थाना को0 खली0 जनपद संतकबीरनगर
द्वितीय पक्ष – नरेन्द्र कुमार पुत्र हजारीलाल सा0 थवईपार थाना को0 खली0 जनपद सन्तकबीर नगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

3. **प्रथम पक्ष –** समरजहा पुत्री शाकिर अली सा0 एकमा थाना को0 खली0 जनपद संतकबीरनगर

द्वितीय पक्ष – इंसानअली पुत्र नाजिर अली सा0 सोनौरा कुमानराय थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

4.**प्रथम पक्ष –** पूजा पत्नी प्रेमचन्द्र सा0 तिनहारी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर
द्वितीय पक्ष – प्रेमचन्द्र पुत्र किशोर सा0 तिनहारी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को लूट/छिनैती के मामले में 07 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0स0 182/2025 धारा 304(1) भा0न्या0सं0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में अभियुक्तगण को मेंहदावल बाईपास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 13.02.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी द्वारा अज्ञात के विरुद्ध राज ग्लोबल स्कूल के सामने ढ़ाबा के पास से मोबाइल छिनकर भाग जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही कर करते हुए आज दिनांक 15.02.2025 को उक्त बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री संजय कुमार यादव, हे0का0 अली हसन सिद्धीकी, का0 श्यामनरायण।

जनपदीय एसओजी टीम व थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा चोरी की संपत्ति को छिपाने व चोरी की संपत्ति को बेईमानी से लेने/रखने के मामले 07 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी प्रभारी ***श्री सर्वेश राय*** व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** द्वारा संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 02.03.2025 को चोरी की संपत्ति को छिपाने व चोरी की संपत्ति को बेईमानी से लेने या रखने के मामले 07 अभियुक्तों को औद्योगिक क्षेत्र श्मशान घाट के पास से गिरफ्तार माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

01.साहिद पुत्र मो0 यहिया निवासी मुखलिसपुर चौराहा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर
02.प्रिन्स कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी बडगो थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर हाल मुकाम मोहल्ला मैलानी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर
03.सत्यम चौधरी पुत्र रामराज चौधरी निवासी गौसपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर
04.साहिल जायसवाल पुत्र सुशील जायसवाल निवासी त्रिपाठी मार्केट खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर
05.राहुल कुमार पुत्र बुद्धि सागर निवासी गोला बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर
06.आदर्श पुत्र स्व0 रामअचल कहांर निवासी गौसपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर
07.अभिलाष कुमार पुत्र राजकुमार निवासी महास्थान खलीलाबाद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर

बरामदगी का विवरणः-

01. एक अदद अपाची मोटरसाईकिल

02. एक अदद रायल इन्फील्ड बुलेट हन्टर मोटरसाईकिल (घटना में प्रयुक्त)

03. एक अदद बजाज पल्सर मोटरसाईकिल (घटना में प्रयुक्त)

04. 9200 रुपये नगद

05. 24 अदद मोबाईल फोन विभिन्न कम्पनियों

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तो से पूछताछ की गयी तो बताये कि हम लोग खलीलाबाद कस्बा व उसके आस पास घुमफिर कर मोबाईल व गाड़ियों की छिनौती करते है। जिसको बेचकर हमलोग मिले रुपये को आपस में बाट लेते है। अपाची मोटरसाईकिल के सम्बन्ध मे पूछा गया तो साहिद ने बताया कि दिनांक 24.02.2025 को हरदी बाग के पास से प्रिन्स कुमार के साथ मिलकर एक व्यक्ति से अपाची मोटरसाईकिल व 01 अदद मोबाईल छिन लिया तथा वहां से भाग गये थे। बुलेट रायल इनफिल्ड हन्टर 350 व पल्सर मोटरसाइकिल के सम्बन्ध मे पूछा गया तो पकड़े गये व्यक्ति प्रिन्स द्वारा बताया गया कि बुलेट रायल इनफिल्ड हन्टर 350 गाड़ी मेरी है व पल्सर गाड़ी सत्यम की है। इन्ही गाड़ियों से साहिद, आदर्श, अभिलाष व सत्यम को लेकर शहर मे घूम फिर कर मौका पाकर लोगो का मोबाईल छिन लेते थे। सुबह, शाम व रात में घुमकर सुनसान व अंधेरा देखकर हम लोग मेहदावल बाईपास, बनियाबारी, औद्योगिक नगर तथा बरदहिया बाजार तथा खलीलाबाद के आस पास के कस्बों से उक्त मोबाईल छिने है।

गिरफ्तारी व माल बरामदगी के आधार पर नियामानुसार थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 182/2025 धारा 317(2), 317(5) बीएनएस में अभियोग पजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

1. एस0ओ0जी0 प्रभारी निरीक्षक श्री सर्वेश राय, का0 वीर बहादुर यादव, का0 सर्वेश मिश्रा, का0 शुभम कुमार, का0 अरूण हलवाई, का0 दीपक सिंह एसओजी संतकबीरनगर।
2. चौकी प्रभारी बरदहिया उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, उ0नि0 अशोक कुमार दुबे, हे0का0 छोटेलाल सिंह, का0 मनीष कुमार यादव, का0 शमसेर अली।